न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2021 (रसद)
पंजीयन दिनांक 03.02.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/67

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री विनीत सोनी निवास स्थल R/o 28 राजीव कॉलोनी, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान चित्तौड़गढ़ शहर में गैस रिफिलिंग की प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के साथ मनजीत सिंह व हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी एवं शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक तथा मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अन्य मीरा नगर 28 राजीव कॉलोनी पहुंचे। मौके पर मकान नम्बर 28 राजीव कॉलोनी के बाहर घरेलू गैस सिलेण्डर 3 भारत गैस एवं 3 रिफिल मोटर मय पाईप नोजल लगे हुए पाए गए। मौके पर विनीत सोनी पाए गए जिनसे वार्ता करने पर उसने बताया कि सिलेण्डर 3 घरेलू एवं 3 मोटर रिफिलिंग की पड़ी हुई है। श्री विनीत सोनी से पास की दुकान में क्या भरा है संबंधी पूछताछ करने पर उसने बताया कि दुकान की चाबी मेरे पास

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

नहीं है श्री सोनी से बार-बार कहने पर भी गोदाम का ताला नहीं खोला गया और वहां से भाग गया। मौके पर उक्त स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत करा पुलिस जाप्ता बुला वीडियोग्राफी करवाते हुए बंद गोदाम को खुलवाने हेतु श्री कमल तलवानी, सिंधी कॉलोनी, प्रतापनगर को बुलवाया गया। मौके पर गवाहों एवं पुलिस जाप्ते की मौजुदगी में गोदाम को खोला गया एवं गठित टीम द्वारा निरीक्षण किया तो वक्त निरीक्षण गोदाम में कुल 21 घरेलू गैस सिलेण्डर्स, 3 पांच किलोग्राम वाले सिलेण्डर्स होना पाया गया। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार डिटेन किए हुए कुल 30 गैस सिलेण्डर्स, 3 रिफिलिंग मोटर व इलेक्ट्रोनिक कांटा के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 02.11.2020 को विपक्षी के मकान एवं गोदाम पर जांच करने पर विपक्षी के मकान व गोदाम में विपक्षी के कब्जे में घरेलू गैस के कुल 30 सिलेण्डर्स, 3 रिफिलिंग मोटर व इलेक्ट्रोनिक कांटा अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी के मकान व गोदाम का निरीक्षण करने पर वहां घरेलू श्रेणी के 30 गैस सिलेण्डर जिनमें कुल 308.1 कि. ग्रा. गैस भरी हुई तथा गैस रिफिलिंग की 3 मोटर व इलेक्ट्रोनिक कांटा अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 01/2021 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री विनीत सोनी निवासी राजीव कॉलोनी, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने घर एवं गोदाम पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 30 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 308.1 कि. ग्रा. गैस तथा 3 मोटर मय इलेक्ट्रोनिक कांटा राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 30 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 308.1 कि. ग्रा. गैस, 3 रिफिलिंग मोटर मय इलेक्ट्रोनिक कांटा राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official